झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।
अधिसूचना

रॉंची दिनांक– 08-08-2023

1. **04–स्था०–01/2023–ग्रा0वि0वि0, 3276,** /श्री प्रशांत कुमार हेम्ब्रम (गृह जिला–धनबाद), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवाडीह, बोकारो के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. **04–स्था०–01/2023–ग्रा0वि0वि0, 3277,** /श्री रमेश कुमार यादव (गृह जिला–रॉंची) को विभागीय अधिसूचना संख्या–3136, दिनांक–31.07.2023 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेशरार, लोहरदगा से स्थानान्तरित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवाडीह बोकारो के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसे संशोधित करते हुए श्री यादव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई, गुमला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

3. **04–स्था०–01/2023–ग्रा0वि0वि0, 3278,** /श्रीमती सुनीला खलखो (गृह जिला–रॉंची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई, गुमला की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को वापस की जाती है।

4. **04–स्था०–01/2023–ग्रा0वि0वि0, 3279** /श्री प्रवीण चौधरी (गृह जिला–दुमका), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

5. **04–स्था०–01/2023–ग्रा0वि0वि0, 3280,** /श्री राम गोपाल पाण्डेय (गृह जिला–रोहतास, बिहार), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजधनवार, गिरिडीह सम्प्रति अधिसूचित–ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को वापस की जाती है।

6. **04–स्था०–01/2023–ग्रा0वि0वि0, 3281** /श्री विकास कुमार राय (गृह जिला–उत्तर प्रदेश), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, निरसा, धनबाद सम्प्रति अधिसूचित–ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को वापस की जाती है।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश सं0–2936, दिनांक–07.04.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वैसे प्रखण्ड जहाँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ अधिसूचित/कार्यरत अंचल अधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की शक्ति नियमित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन तक प्रदत्त की जाती है। जिन प्रखण्डों में अंचल अधिकारी के पद रिक्त है उनमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा अंचल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

3. उक्त स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय। सभी संबंधित उपायुक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी को नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब विरमित कर देंगे एवं नव पदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार आदान–प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। नव पदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरन्त विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- 08/08/2023

(अरूण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 04–स्था0–01/2023/ग्रा0वि0, 3282 राँची, दिनांक– 08/08/2023

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/- 08/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 04–स्था0–01/2023/ग्रा0वि0, 3282 राँची, दिनांक– 08/08/2023

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 08/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 04–स्था0–01/2023/ग्रा0वि0, 3282 राँची, दिनांक– 08/08/2023

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड)/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/संबंधित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित उपायुक्तों को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों को अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब विरमित किया जाय तथा अधिसूचित पदाधिकारियों का प्रभार परित्याग/ग्रहण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/- 08/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 04–स्था0–01/2023/ग्रा0वि0, 3282 राँची, दिनांक– 08/08/2023

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 08/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 04–स्था0–01/2023/ग्रा0वि0, 3282 राँची, दिनांक– 08/08/2023

प्रतिलिपिः– मनरेगा आयुक्त/सभी विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 08/08/2023

सरकार के अवर सचिव।